

फेलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति का ICC ट्रायल

स्रोत: द हट्ट

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा न्यायेतर हत्याओं (2011-2019) सहित मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिये फेलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के खिलाफ गतिफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

- दुतेर्ते ICC में आरोपों का सामना करने वाले एशिया के पहले पूर्व राष्ट्रध्यक्ष हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):

- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):** वर्ष 1998 के रोम संवधि के तहत स्थापित और वर्ष 2002 से कार्यरत, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाने वाला पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।
- **अधिकार क्षेत्र:** यह 1 जुलाई, 2002 को या उसके बाद किये गए नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराधों के लिये मुकदमा चलाता है।
- **प्रवर्तन एवं वारंट:** ICC के पास अपना स्वयं का प्रवर्तन निकाय नहीं है तथा गतिफ्तारी, स्थानांतरण, संपत्ति जित करने और सजा प्रवर्तन के लिये यह वैश्विक सहयोग पर निर्भर है।
 - इसके वारंट सदस्य देशों के लिये बाध्यकारी हैं, तथा गैर-अनुपालन की स्थिति में मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जा सकता है, लेकिन गैर-सदस्य देश इसके लिये बाध्य नहीं हैं।
- **स्वतंत्रता:** यह एक अलग समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र (UN) से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- **सदस्यता:** ICC के 125 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस और इजरायल जैसी प्रमुख शक्तियाँ गैर-सदस्य हैं।
- **संरचना:** इसमें 18 न्यायाधीश (9 वर्ष का कार्यकाल), एक स्वतंत्र अभियोजक कार्यालय, तथा पीड़ितों के लिये ट्रस्ट फंड, हरिसत केंद्र, तथा राज्य दलों की सभा जैसे प्रमुख निकाय शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अंतर

	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ)	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC)
स्थापना	वर्ष 1945	वर्ष 2002
UN संबंध	संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे आमतौर पर 'विश्व न्यायालय' के रूप में जाना जाता है।	स्वतंत्र रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से केस रेफरल प्राप्त कर सकता है।
मुख्यालय	हेग (नीदरलैंड्स)	हेग (नीदरलैंड्स)
मामलों के प्रकार	यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।	व्यक्तियों का आपराधिक मुकदमा
विषय-वस्तु	संप्रभुता, सीमा और समुद्री जल विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, संधि उल्लंघन, संधि व्याख्या आदि	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नर-संहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करता है।
वित्तपोषण	संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित	रोम संधि के पक्षकारों द्वारा योगदान; संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वेच्छिक योगदान; विभिन्न देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों और निगमों द्वारा स्वेच्छिक योगदान

और पढ़ें: [अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय \(ICC\)](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/former-philippines-president-s-icc-trial>